"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2002—कार्तिक 6, शक 1924

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-2-13/गृह/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(2) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, विनियम, प्रारूप, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981.
2.	दण्ड विधि संशोधन (म. प्र. संशोधन) अधिनियम, 1967.
3.	दण्ड प्रक्रिया संहिता (म. प्र. संशोधन) अधिनियम, 1978.
4.	दण्ड विधि संशोधन (म. प्र. संशोधन) अधिनियम, 1981.
5.	दण्ड प्रक्रिया संहिता (म. प्र. संशोधन) अधिनियम, 1995.
6.	दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन मध्यप्रदेश की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति बाबत योजना.
7.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (मध्यप्रदेश में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति).
8.	पशु अतिचार (म. प्र. संशोधन) अधिनियम, 1960.
9.	भारतीय पागलपन (म. प्र. संशोधन) अधिनियम, 1952.
10.	मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था अधिनियम, 1980.
11.	मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990.
12.	मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982.
13.	सार्वजनिक धूत (म. प्र. संशोधन) अधिनियम, 1976.
14.	स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (म. प्र. नियम, 1960).
15.	स्त्री अशिष्ट रूपेण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के तहत मध्यप्रदेश में प्राधिकारण.
16.	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958.
17.	पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1922.
18.	पुलिस बल (अधिकारों पर निबंधन) अधिनियम, 1966.

(1)	(2)
19.	दि क्रिमीनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 1938.
20.	पशु अतिचार अधिनियम, 1971.
21.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989.
22.	अनैतिक व्यापार (निवारण अधिनियम) 1956.
23.	आयुध अधिनियम, 1959.
24.	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955.
25.	इनामी चिट और धन परिचालन पाबंदी अधिनियम, 1978.
26.	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954.
27.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961.
28.	उत्तर भारत नौघाट अधिनियम, 1978.
29.	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960.
30.	पुलिस अधिनियम, 1861.
31.	प्रान्तीय दीवाला अधिनियम, 1920.
32.	बंदियों की शिनाख्त अधिनियम, 1920.
33.	राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम, 1911.
34.	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987.
35.	मोटरयान अधिनियम, 1988.
36.	मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985.
37.	दि ट्रांसप्लेनेसन ऑफ ह्यूमन आर्गन्स एक्ट, 1994.

Raipur, the 28th October 2002

NOTIFICATION

No. F-2-13/Home/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation Order, 2002.

(2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time. Specified in the Schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be inforce in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	M. P. Dacoit Affected area Act, 1981.
2.	Criminal law (M. P. Amendment) 1967.
3.	Code of Criminal procedure (M. P. Amendment) Act, 1978.
4.	Criminal law (M. P. Amendment) 1981.
5.	Code of criminal procedure (M. P. Amendment) Act, 1995.
6.	Appointment of special judicial magistrate in M. P. under code of criminal procedure, 1973.
7.	Appointment of Dowry prohibition offence in Dowry prohibition Act, 1961.
8.	The calcite trespass (M. P. Amendment) Act, 1960.
9.	The Indian Lamar (M. P. Amendment) Act, 1952.
10.	M. P. Maintenance of Essential services and prevention of act.
11.	M. P. state security Act, 1990.
12.	M. P. specific preventive of corruption Act, 1982.
13.	Public gambling (M. P. Amendment) Act, 1976.

(1)	(2)
14.	The immoral traffic prevention (M. P. Rules) 1960.
15.	The indencent representation of woman (prohibition) Act, 1986.
16.	The Probation of offender Act, 1958.
17.	The Public Gambling Act, 1867.
18.	The Police (Incitement to Dissatisfaction) Act, 1922.
19.	The Police forces (Restriction of Rights) Act, 1966.
20.	The Criminal law (Amendment) Act, 1938.
21.	The cattle trespass Act, 1871.
22.	The scheduled castes and scheduled tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
23.	The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.
24.	The Arms Act, 1959.
25.	The Essential Commendation Act, 1955.
26.	The Prize Chits and money circulation schemes (Banning) Act, 1978.
27.	The Dowry Prohibition Act, 1961.
28.	Northern India ferries Act, 1878.
29.	The Prevention of cruelty to Animal Act, 1960.
30.	The Police Act, 1861.
31.	The Provincial Insolvency Act, 1920.
32.	The Identification of Prisoners Act, 1920.
33.	The Prevention of Seditions meetings Act, 1911.
34.	The Mental Health Act, 1987.
35.	The Motor Vehicles Act, 1988.
36.	The Narcotic Drugs and Psychotropic substance Act, 1985.
37.	The Transplantation of Human organs Act, 1994.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाई. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.